

प्रेषक,

युगल किशोर पंत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड भाषा संस्थान,
देहरादून।

भाषा अनुभाग

देहरादून : दिनांक: ०१ अप्रैल, 2025

विषय-वित्तीय वर्ष 2025-26 की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदया,

उपर्युक्त विषयक वित्त (अनु-01) विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 एवं तत्कम में आपके पत्रांक-04/बजट/उ.भा.सं./2025-26, दिनांक-05 अप्रैल 2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अधिष्ठान के विभिन्न व्ययों के वहन हेतु अनुदान संख्या 11 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्द्धन, 05-भाषा विकास, 00-मतदेय, 04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान के निम्नलिखित मानक मदों की कुल प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 125.00 लाख (रू0 एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर निम्नवत् निदेशक के निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 हजार में)

मानक मद	शीर्षक 04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान	प्राविधानित धनराशि 2025-26	शेष धनराशि	वर्तमान में प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	5	6
05	वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	5000	5000	—
08	पारिश्रमिक	5000	2500	2500
56	सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	30000	20000	10000
	योग	40000	27500	12500
(रू0 एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)				

2— इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्द्धन, 05-भाषा विकास, 00-मतदेय, 04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान के मानक मद 05-वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान, 08-पारिश्रमिक, 56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-I/287566/E-79713/09(150) 2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 में प्रतिनिधायन किये गये अधिकारों एवं निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by

Yugal Kishore Pant

(युगल किशोर पंत)
Date: 01-05-2025
11:24:50

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, निम्बूवाला, कौलागढ़, देहरादून।
- 2— वरिष्ठ कोषाधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 3— निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4— आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
- 5— वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
- 6— वित्त अनुभाग-1 एवं अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 7— नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8— बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
- 9— विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

Shuchi Ags
(शुचि अग्रवाल)
अनु सचिव।